प्रदूषण नियंत्रण समिति

दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली

सिलवासा – 396230.

दूरभास नं. ☎ (0260) – 2630260, 2230524, 2230981

फॅक्स नं. ☎ (0260) – 2630260, 2230804

वेबसाइट : **www.pccdaman.info**

नागरिक चार्टर

१. लक्ष्य एवं उदेश्य :

क. दोनों संघ प्रदेशों के पर्यावरण (वायु, जल एवं भूमि) के संरक्षण और सुधार की दिशा में प्रयास करते रहना ।

ख. समय – समय पर जारी विभिन्न अधिनियम/ नियम में दर्शाए गए पर्यावरण मानकों का पालन दोनों संघ प्रदेशों में स्थापित उधयोगों द्वारा नियमों के अनुरूप हो रहा है की नहीं उसकी जाँच करना एवं उन पर निरंतर निगरानी रखना ।

ग. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का शोधन, भंडारण और निपटारा नियमों के अनुरूप है की नहीं एवं उस पर निरंतर निगरानी रखना ।

घ. दोनों संघ प्रदेशों के पानी एवं वायु की गुणवत्ता की जाँच करना एवं उस पर निरंतर निगरानी रखना।

ङ. जैव चिकित्सा कचरें के निपटारा नियमों के अनुरूप है की नहीं एवं उस पर निरंतर निगरानी रखना ।

च. दोनों संघ प्रदेशों में अलौह धातु का आयात नियमों के अनुरूप है की नहीं एवं उस पर निरंतर निगरानी रखना ।

२. प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत किए जाने वाले कार्य:

क. प्रशासन ने दिनांक 11/10/1994, 13/05/1996, 05/09/1997, एवं 12/11/1997 को जारी अधिसूचना में विभिन्न उधयोगों को उनके संभावित प्रदूषण जोखमों के आधार पर वर्गीकृत किया है। अधिसूचना दिनांक 03/05/1999 के द्वारा उधयोगों को सफ़ेद, हरा, नारंगी, एवं लाल/ प्रतिबंधित श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया गया है और तब से लाल/ प्रतिबंधित श्रेणी के उधयोगों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

ख. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत विघिन्न उधयोगों को स्थापना, प्रचालन एवं नवीनीकरण की अनुमति दी जाती है ।

ग. जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं उठाई-धराई) अधिनियम, 1988 के तहत जैव चिकित्सा कचरे का निपटारा ।

घ. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं उठाई-धराई) अधिनियम, 2000 के तहत नगरपालिका ठोस कचरे के निपटारे के लिए प्रबंधन एवं सेवा का समन्वय करना ।

ङ. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं उठाई-धराई) अधिनियम, 1989 एवं 2000, 2003 और 2008 में संशोधित नियमो के अनुरूप जो कोई खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग, उत्पन्न या उठाई-धराई का कार्य करते है, वह नियमों के अनुरूप है की नहीं उस पर निरंतर निगरानी रखना ।

च. खतरनाक अपशिष्ट के शोधन, भंडारण एवं निपटान की सुविधा दादरा एवं नगर हवेली के मोटा राँधा में सूरत की गुजरात एनवायरो प्रोटेकसन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने स्थापित किया है।

छ. जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत जल उपकर संग्रह की सुविधा देना ।

ज. प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की है और जल एवं वायु प्रदूषण का विश्लेषण करती है ।

झ. पुनर्विनिकरण प्लास्टिक उत्पादन एंव उपयोग नियम, 1999 एवं समय–समय पर हुए संशोधन के प्रावधानों का पालन करना ।

ञ. खतरनाक रसायनो का निर्माण, भंडारण एवं आयात अधिनियम, 1989 एवं समय – समय पर हुए संशोधन के प्रावधानों का पालन करना ।

ट. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं उसके आधीन बनाए गए नियमों के तहत आने वाली सभी गतिविधियां का अनुपालन ।

ठ. बैटरी (प्रबंधन एवं उठाई-धराई) अधिनियम, 2001 एवं समय–समय पर हुए संशोधन का अनुपालन ।

ड. ध्वनि प्रदूषण (प्रबंधन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2000 एवं समय–समय पर हुए संशोधन।

ढ. प्रदेश की आम जनता एंव नागरिक प्रदूषण नियंत्रण समिति की सभी जानकारी हमारी वेबसाइट www.pccdaman.info से प्राप्त कर सकते है।

ण. प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन आवेदन प्रणाली द्वारा आवेदक या औद्योगिक उद्यमी स्थापना, प्रचालन एवं नवीनीकरण की अनुमति का आवेदन कर सकता है । ई अनुमति केवल सफ़ेद एवं हरे श्रेणी के उद्योगों को दी जाती है (जिनमें क्षेत्र निगरानी की जरूरत नहीं होती है)

त. ऊपर दी गई ऑनलाइन सुविधा के अलावा प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आवेदक या औद्योगिक उद्यमी को उनके द्वारा दिए गए आवेदन की स्थिति की जानकारी के लिए एसएमएस एवं ईमेल की सुविधा भी शुरू की है ।

थ. इस ऑनलाइन सुविधा के साथ सार्वजनिक शिकायतो के लिए अलगसे शिकायत खिड़की की सुविधा दी गई है जहाँ पर आम जनता एवं औद्योगिक उद्यमी अपनी शिकायत कभी भी कर सकता है और उसका त्वरित उत्तर भी प्राप्त कर सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण समिति का प्रधान कार्यालय दमण में है और क्षेत्रीय कार्यालय सिलवासा में है और सभी कार्य एवं गतिविधियां समयबध्ध ढंग से की जाती है ।

विस्तृत गतिविधियां, जाँचसूची एवं उनकी समय सीमा इस प्रकार है ।

स्थापना अनुमति की जाँचसूची	
क्रम संख्या	**विवरण**
ए	जल अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 13* ।
बी	वायु अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 1* ।
सी	जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के तहत सहमति शुल्क का सिलवासा या दमण अदायगी वाला प्रदूषण नियंत्रण समिति के नाम से बना डिमांड ड्राफ्ट । #
डी	भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यह्रास के बिना पूंजी निवेश की जानकारी 20 रुपए के स्टेम्प पेपर का नोटरी शपथ पत्र दे ।
ई	भूमि समझोता/ बिक्री पट्टे की प्रतिलिपि ।
एफ़	जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) द्वारा जारी अनंतिम पंजीकरण/ प्रमुख निकासी की प्रतिलिपि।
जी	व्यापक परियोजना विवरण जिनमें निम्न शामिल हो १. निर्मित किए जाने वाले उत्पादकों की सूची। २. उत्पाद वार इसतमाल किए जाने वाले कच्चे माल की सूची एवं प्रति माह आवश्यकता की मात्रा। ३. स्थापित किए जाने वाली संयंत्र एवं मशीनरी की सूची। ४. स्थापित किए जाने बॉयलर, थरमिक फ्लुइड हीटर या डीजल जनरेटर सेट की संख्या, इस्तेमाल की जाने वाल ईंधन एवं ईंधन के खपत की मात्रा । ५. खतरनाक रसायनों का विवरण, रासायनिक नाम, उबालने का समय, फ्लैश बिंदु और किसी भी समय पर भंडारण क्षमता। @ ६. खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण एवं आयात अधिनियम, 1989 के अनुसूची नं. 1 के अनुसार खतरनाक रसायनों की सामग्री सुरक्षा विवरण पत्र। @

	७. रसायन प्रक्रियाओं सहित उत्पाद वार विस्तृत विनिर्माण प्रक्रिया। ८. उत्पाद वार प्रक्रिया प्रवाह चार्ट। ९. उपव्ययता के संतति का स्त्रोत एवं इसकी मात्रा । १०. शोधन एवं निर्वहन बिंदु से पहले और बादमें प्रवाह संतति की गुणवत्ता का विवरण । ११. रचना, ब्लू प्रिन्ट एवं शोधन प्रक्रिया सहित बहिः स्त्रावी उपचार संयंत्र का विवरण। १२. प्रकार, मात्रा, संग्रह प्रक्रिया, भंडारण, शोधन एवं निपटान की विधि के साथ ठोस अपशिष्ट (गैर खतरनाक) के उत्सर्जन का विवरण । ## १३. धुआँरा और प्रक्रिया उपकरण/ मशीनरी और स्थापित किए जाने वाले "वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण" का विवरण ब्लू प्रिंट से साथ। १४. धुआँरा से होने वाले उत्सर्जन की शोधन के पहले और बाद की मात्रा एवं गुणवत्ता।
एच	हस्ताक्षर हुए संघ का लेखा ज्ञापन/ साझानामा की प्रति ।
आई	हस्ताक्षर/ दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए प्राधिकार पत्र ।
जे	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), वन विभाग जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के भूमि वन्यजीव अभयारण्य के बरफ क्षेत्र के भीतर नहीं आती।

संचालन अनुमति की जाँचसूची	
क्रम संख्या	**विवरण**
ए	जल अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 13* ।
बी	वायु अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 1*।
सी	जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के तहत सहमति शुल्क का सिलवासा या दमण अदायगी वाला प्रदूषण नियंत्रण समिति के नाम से बना डिमांड ड्राफ्ट । **#**
डी	भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यह्रास के बिना पूंजी निवेश की जानकारी 20 रुपए के स्टेम्प पेपर का नोटरी शपथ पत्र दे ।
ई	जल अधिनियम के तहत जारी "स्थापना सहमति" आदेश की प्रतिलिपि।
एफ़	वायु अधिनियम के तहत जारी "स्थापना सहमति" आदेश की प्रतिलिपि।
जी	जल एवं वायु प्रदूषण के सोधन के लिए स्थापित किए जाने बहिः स्त्रावी उपचार संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के विवरण की प्रतिलिपि एवं आरेखण ।
एच	१. परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण/ ग्रहण/ अभिक्रियान्वयन/ परिवहन/ भंडारण व्ययन का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन (फार्म–1)। # # २. उद्योग विवरण पत्र प्रारूप (आईडीएसएफ़)। ३. उधयोग के बारे में जानकारी वाली तख्ती का प्रारूप ।

आई	पुनर्विनिकरण प्लास्टिक विनिर्माण एंव उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 के तहत प्लास्टिक बैग एवं कंटेनर के निर्माण के पंजीकरण के लिए फार्म–1 में आवेदन ।

नवीनीकरण अनुमति की जाँचसूची	
क्रम संख्या	**विवरण**
ए	जल अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 13* ।
बी	वायु अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 1* ।
सी	जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के तहत सहमति शुल्क का सिलवासा या दमण अदायगी वाला प्रदूषण नियंत्रण समिति के नाम से बना डिमांड ड्राफ्ट । **#**
डी	भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यह्रास के बिना पूंजी निवेश की जानकारी २० रुपए के स्टेम्प पेपर का नोटरी शपथ पत्र दे ।
ई	जल अधिनियम के तहत जारी “संचालन/ नवीनीकरण सहमति” आदेश की प्रतिलिपि ।
एफ़	वायु अधिनियम के तहत जारी “संचालन/ नवीनीकरण सहमति” आदेश की प्रतिलिपि ।
जी	बहिः स्त्रावी उपचार संयंत्र से अभिक्रियानवित जल प्रवाह की छः:माही विश्लेषण रिपोर्ट ।
एच	धुआँरा निगरानी एवं परिवेश वायु गुणवत्ता (फैक्टरी परिसर के भीतर) की छः:माही निगरानी रिपोर्ट ।
आई	पर्यावरण (संरक्षण) 1989, नियम के तहत ३१ मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरण विवरण फार्म–V के रूप में ।
जे	१. परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण/ ग्रहण/ अभिक्रियान्वयन/ परिवहन/ भंडारण व्ययन का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन । (फार्म–1) **##** २. उद्योग विवरण पत्र प्रारूप (आईडीएसएफ़)। ३. कब्जेदार या सुविधा ऑपरेटर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थ के अभिलेख का प्ररूप । (फार्म–3) ४. पुनःचक्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन सुविधाएं रखने वाली औधोगिक इकाइयों के पंजीकरण/ नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप । (फार्म–5) ५. पुनःचक्रणकर्ताओं द्वारा पुनःचक्रीत परिसंकटमय अपशिष्टों पदार्थों के वार्षिक रिटर्न एवं अधिलेख जमा करने हेतु प्ररूप । (फार्म–6) ६. परिसंकटमय अपशिष्टों पदार्थों के आयात एवं निर्यात का आलेख बनाने के लिए प्ररूप । (फार्म–10) ७. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रकट । (फार्म–13)
के	पुनर्विनिकरण प्लास्टिक विनिर्माण एंव उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 के तहत प्लास्टिक बैग एवं कंटेनर के निर्माण के पंजीकरण के लिए फार्म – 1 में आवेदन एवं

	पहले जारी की गई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

ध्यान दें।

१. सहमति के निपटारे की समय सीमा 90 दिनों की है।

२. सफ़ेद श्रेणी उधयोगों को वायु अधीनीयम के तहत आवेदन देना जरूरी नहीं है । (क्रम सं. बी)

* आवेदन फार्म भरते समय फार्म में कोई भी जगह खाली ना छोड़े और "परियोजना विवरण के अनुसार" एवं "जैसे पहले दिया था" या अन्य इसी तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें।

\# अधिसूचना नंबर पीसीसी/डीएमएन/13- iii/1999 दिनांक 03/05/1999 के अनुसूची–V के तहत डिमांड ड्राफ्ट द्वारा सहमही शुल्क भुगतान की संरचना भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यह्रास की गई है।

\# # परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, संभालना एवं सीमा गतिविधि) नियम, 2008 को को देखें।

संपर्क अधिकारी :

1. सदस्य सचिव
   प्रदूषण नियंत्रण समिति
   दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली
   दमण/ सिलवासा

2. पर्यावरण अभियंता
   प्रदूषण नियंत्रण समिति
   दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली
   दमण/ सिलवासा

फोन एवं फैक्स नंबर :

फोन एवं फैक्स नंबर : 0260 – 2630260

दमण :

फोन नंबर : 0260 – 2230524, 2230975

फैक्स नंबर : 0260 – 2230804

फोन एवं फैक्स नंबर : 0260 – 2630260

दमण :

फोन नंबर : 0260 – 2230524, 2230981

फैक्स नंबर : 0260 – 2230804